सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

उनवानः–

प्रकरण सं. 35/2017

[illegible] सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिखसा. वार्ड न. 6 सिंहपुरा तह0 संगरिया ।

प्रार्थी

बनाम

1 शिवराज सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जट सिख सा. सिंहपुरा तह0 संगरिया।
2 ग्राम पंचायत सिंहपुरा जरिये सरपंच ग्रा0पं0 सिंहपुरा।
3 ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा जरिये सरपंच ग्रा0पं0 इन्द्रपुरा।

अप्रार्थीगण।

प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनांक 5.9.11 व निर्णय 9.12.11 बअदालत जिला कलक्टर हनुमानगढ

उपस्थितः–
1 श्री राजेशदीप राम अभिभाषक प्रार्थी
2 श्री राजेन्द्र मूण्ड अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–05.09.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ने मा.न्यायालय में निगरानी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत अधिनियम का इस आश्य का प्रस्तुत किया था कि ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा वर्तमान ग्राम पंचायत सिंहपुरा के आदेश दिनांक 10.3.84 जिसकी रूह से ग्राम पंचायत सिंहपुरा की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड सं0 51 में 2812 दरगज का पटटा विलेख प्रार्थी के पिता के नाम से निष्पादित किया गया के विरूद्ध पेश की। प्रार्थी के पिता का देहाचसान होने के कारण प्रार्थी को निगरानी प्रा0पत्र में अप्रार्थी सं. 2 पक्षकार बनाया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी को नोटिस जारी कियेगये एवं दिनांक 5.9.11 को प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गया एवं दिनांक 9.12.11 को प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णयस पारित फरमाया गया। प्रार्थी एकतरफा आदेश दिनांक 5.9.11 व निर्णय दिनांक 9.12.11 को निम्न आधारों पर अपास्त करवाने का अधिकारी व दावेदार हैः–

क– कि मा0 न्यायालयद्वारा जारी नोटिस की कोई तामील प्रार्थी पर नहीं करवायी गयी एवं मा0 न्यायालय का अधीनस्थ कर्मचारी/सवार प्रार्थी के पास निगरानी के आवेदन पत्र की नकल एव नोटिस लेकर कभी नहीं गया। प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के

... अथवा निगरानी के आवेदन पत्र की नकल न देकर मात्र हस्ताक्षर करवा लिये गये एवं इस आधार पर एकतरफा आदेश दिनांक 5.9.11 पारित कर दिया गया।

क– कि विधि का यह प्रावधान है कि नोटिस की तामील किसी नाबालिग लड़के पर नहीं करवाई जा सकती लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी स0 1 ने तहसील कार्यालय के सहयोग से दर्भीसंधी कर प्रार्थी के नाबालिग पुत्र को कोई नोटिस की द्वितीय प्रति अथवा निगरानी के आवेदन पत्र की नकल दिये बिना हस्ताक्षर करवा लिए। ऐसी तामील विधि के आज्ञापक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत करवाई गयी है।

ख– कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पुत्र कमलदीप सिंह पर तामील होना अभिव्यक्त किया गया है जिसकी आयु मात्र 16 वष है। प्रार्थी के पुत्र कमलदीपसिंह को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निगरानी के संबंध में नहीं बताया गया एवं नोटिस पर यह भी अंकित नहीं किया गया कि प्रार्थी का पुत्र बालिग है एवं नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा शपथपूर्वक तामील करवाई जाने का अभिवचन अंकित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत तामील शपथ के अभाव में कतई गलत एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है।

ग–कि तामील कुनिन्दा की तामील को जमादार/नाजिरि द्वार सत्यापित नहीं किया गया एव ना ही इस बारे में कोई जांच की गयी कि प्रश्नगत नोटिस की तामील नाबालिग लडके पर करवाई गयी है।

ड– कि एक तरफा आदेश दिनांक 5.9.11 पारित होने के बाद मा. न्यायालय द्वारा दिनाक 9.12.11 को एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को मा0 न्यायालय में लम्बित प्रकरण का तामील के अभाव में ज्ञान नहीं होने के कारण निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी निर्णय से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है।प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1द्वारा प्रस्तुत निगरानी अहम जबावदेही रखता है। अगर निर्णय दिनांक 9.12.11 अपास्त नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगा।

च–कि अप्रार्थी ससं0 1 द्वारा प्रस्तुत निगरानी का आवेदन पत्र अचल सम्पति से संबंधित है। प्रार्थी के पिता के पक्ष में पटटा जारी किया हुआ है एवं प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड पर काबिज है।

छ– कि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तिरस्कृत नहीं किया जा सकता लेकिन हस्तगत प्रकरण में तामील कुनिन्दा ने प्रार्थी की तामील करवाने का कोई प्रयास नहीं किया।

ज– कि प्रार्थी गांव का भोला व अनपढ व्यक्ति है। प्रार्थी बीमार रहने के कारण सदैव घर पर आराम करता रहता है लेकिन तामील कुनिन्दा ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मनमाने तौरसे तामील होना अंकित किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

झ– कि दिनांक 25.8.12 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के पटटा शुद्धा भूखण्ड की दीवार निरानी चाही तो प्रार्थी ने अप्रार्थी को इस कृत्य से मना किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उसने अपने पक्ष में निर्णय दिनांक 9.12.11 को पारित करवा लिया है जिसका ज्ञान होते ही प्रार्थी ने अविलम्ब मा0 न्यायालय के निर्णयकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो प्रार्थी का ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा आदेश 5.9.11 व एकतरफा निर्णय दिनांक 9.12.11 पारित हो चुका है जिस पर प्रार्थी ने पैरवी हेतु अभिभाषक से सम्पर्क स्थापित तो उसे यह राय दी गयी कि ऐसे प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश करनी होगी जिस पर प्रार्थी ने अपना अभिभाषक नियुक्त कर मा0 उच्च न्यायालययमें रिट सं. 9052/2012 प्रस्तुत की।

ञ– कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने मा.उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका को इन अभिकथनों के साथ विड्रा कर लियाकि वे मा0 न्यायालय में उक्त अनवानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर हस्तागत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया।

यह कि प्राथी को मा0 न्यायालय के एक तरफा आदेश दिनाक 5.9.11 व निर्णय दिनांक 9.12.11 सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.8.12 को अप्रार्थीस0 1 द्वारा बताए जाने पर हुआ है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत है लेकिन फिर भी हस्तगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने तक के समय को कण्डोन करवाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 व 14 का आवेदन पत्र सलंग्न है।

अतः निगरानी सं0 03/11 में पारित एक तरफा आदेश दिनांक 05.9.11 व निर्णय दिनांक 09.12.11 को अपास्त कर प्रार्थी को जबावदेही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित फरमाया जावे।

यह आवेदन पत्र प्रथमतः न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 14.9.12 को प्रस्तुत हुआ। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर इस न्यायालय में दिनांक 11.4.17 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 व 2 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। पूर्व पत्रावली सं0 3/11 सलंग्न की गयी। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी चढ़ सिंह की निगरानी आवेदन पत्र में पर्याप्त सम्यक व विधि विरूद्ध रूप से तामील हुई है। बावजूद तामील के चढ सिंह हाजिर नहीं आया। प्रार्थी का पुत्र वरवक्त तामील बालिग था तथा उसे सही व सम्यक रूप से तामील करवाई गयी है। प्रार्थी का पुत्र चढ सिंह के साथ ही रहता था। आदेश दिनांक 5.9.11 हर प्रकार से सही एवं विधि सम्मत् है। प्रार्थी को मा. न्यायालय में लम्बित प्रकरण की शुरू से बखूबी जानकारी व ज्ञान रहा है। प्रार्थी चढ सिंह द्वारा मा. उच्च न्यायालय में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिंह के पुत्र ने दिनांक 6.5.12 को पुलिस थाना सगरिया में एक प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी के विरूद्ध पेश किया था तथा एक परिवार अर्न्तगत धार 107,116(3)151 सीआरपीसी का चढ सिंह व उसके पुत्रों व अन्य के विरूद्ध दिनांक 24.8.12 को पेश किया था । इस प्रकार प्रार्थी को शुरू से ही निगरानी आवेदन पत्र का ज्ञान रहा है।प्रार्थी ने मा. न्यायालय से सही एवं वास्तविक वस्तुस्थिति को असद्भावना पूर्वक छिपाते हुए यह प्रकरण मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर शुरू से ही अप्रार्थी का कब्जा व रिहायश चली आ रही है। प्रार्थी का प्रा0पत्र पूर्णतया मियाद वृजित है। इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र मय विशेष हर्जा खारिज किया जावे।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि मूल निगरानी आवेदन पत्र में प्रार्थी की विधिवत तामील नहीं हुई । एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्रार्थी के नाबालिग पुत्र पर तामील होना मानकर की गयी है। नाबालिग व्यक्ति पर तामील होना विधि अनुसार नहीं माना जा सकता । बहस के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के पुत्र कमलदीप सिंह की अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा 2009 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पुत्र की जन्मतिथि 08.01.94 है जिसके अनुसार प्रार्थी के नोटिस की तामील दिनांक 07.6.11 को प्रार्थी के पुत्र पर करवाई गयी है। इस तामील के आधार पर दिनांक 05.9.11 को प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी का पुत्र तामील की दिनांक को नाबालिग था। विधि के प्रावधानानुसार नाबालिग पर तामील विधिमान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में की गयी एक पक्षीय कार्यवाही विधिवत नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है जो प्राकृति न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। एक पक्षीय के बाद प्रार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय दिनांक 09.12.2011 भी खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रकरण स0 03/2011 में पारित आदेश दिनांक 05.9.2011 व निर्णय दिनांक 09.12.2011 निरस्त किये जाते हैं। पूर्व प्रकरण 03/2011 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी (मूल प्रकरण में अप्रार्थी) को जबाब/साक्ष्य का अवसर दिया जाता है। यह पत्रावली निर्णय शुमार होकर पूर्व प्रकरण के साथ सलंग्न रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official